HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13527/2026
CNR: RJHC020832362026 | URN: CRLMB / 25018U / 2026

Jeetram S/o Jagdish, Aged About 26 Years, R/o Kundli Nadi, Police Station Malarna Dungar, District Sawai Madhopur (Raj.) (Presently Confined At District Jail Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Prasad Jogi
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **161/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति पर कार्यालय आपत्ति अंकित होने से उसे दूर करने की प्रार्थना के साथ प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2026 पेश किया गया है, जिस पर सुना गया।

प्रकरण के इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गई।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त लोकेश ने उसके खाते का दुरूपयोग साइबर ठगी के लिए किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के खाते में

साइबर ठगी की राशि दो बार आना बताया गया है जिसमें एक बार 26 हजार रूपये एवं दूसरी बार 5 हजार रूपये है, जिसके सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हैं। उनका तर्क है प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। वह दिनांक 23.07.2026 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने ही अपना खाता साइबर ठगी के लिए दिया है। उसके खाते में लगभग दो वर्ष की अवधि में 5 लाख 80 हजार रूपये जमा हुए हैं जिनमें से 5 लाख 58 हजार रूपये प्रत्याहरित भी किए गए हैं। मोबाइल की चैटिंग के स्क्रीन शॉट प्राप्त किए गए हैं जिनसे प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना खाता सहअभियुक्त लोकेश को दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध धाराओं के आरोप हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319(2), 318(4), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अपराध है। उसके खाते का दुरूपयोग सहअभियुक्त द्वारा किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **जीतराम पुत्र जगदीश** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके

न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

21/AJAY KUMAR SINGHAL